प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.05.2025

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.05.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादिया द्वारा लिखित सूचना दी गई कि उसकी नाबालिक पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को सुमित निवासी जस्सीपुरा फरीदाबाद हरियाणा द्वारा दिनांक 08.05.2025 को घर से बहला-फुसलाकर ले जाना तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 137(2)/64(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर पीडिता के धारा-180 बीएनएसएस के अन्तर्गत बयान व अन्य वैधानिक कार्यवाही की गयी तथा अभियोग में वांछित अभियुक्त सुमित की तलाश हेतु टीमों का गठन किया गया।

आज दिनांक 16.05.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सुमित पुत्र पवन निवासी गली नं0 08 जस्सी कालोनी मवई गांव के पास थाना खेडीपुर जिला फरीदाबाद हरियाणा उम्र 22 वर्ष को जल प्लांट अण्डरपास के पास थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया तथा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त सुमित उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि मेरी पीडिता से करीब 02 वर्ष पहले मुलाकात हुई थी, पीडिता मेरी रिश्तेदारी में आती है, एक-दूसरे से रिश्तेदारी होने के कारण हमारा एक दूसरे के घर आना जाना हो जाता था और हमारी बातचीत मोबाइल पर होने लगी फिर मैं दिनांक 08.05.2025 को उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

सुमित पुत्र पवन निवासी गली नं0 08 जस्सी कालोनी मवई गांव के पास थाना खेडीपुर जिला फरीदाबाद हरियाणा उम्र 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 20,000/- रुपये का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10.02.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त पूरन पुत्र जगदीश निवासी ग्राम खिमावती थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त पर 20,000/- रुपये का ईनाम घोषित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 01.05.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। अपहृता के धारा-180,183 बीएनएसएस के अंतर्गत बयान लिये गये जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 16.05.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 20,000/- रुपये के ईनामी अभियुक्त पूरन सैनी पुत्र जगदीश सैनी निवासी ग्राम खरजीवनपुर खिमावती मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष को रेगुलेटर गंगनहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब मैं वादी की पुत्री से एक शादी में करीब 04 साल पहले मिला था तब से ही हमारी बातचीत होती रहती थी। दिनांक 10/02/2025 को मैं उसको बहला-फुसलाकर अपने साथ शादी के उद्देश्य से भगाकर दिल्ली ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

पूरन सैनी पुत्र जगदीश सैनी निवासी ग्राम खरजीवनपुर खिमावती मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

स्वाट टीम नगर जोन व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 37 किलोग्राम डोडा पोस्त जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3.5 लाख रुपये है, घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी, 1750/- रुपये व 02 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 15-05-2025 को चेकिंग के दौरान स्वाट टीम नगर जोन व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मोरटी तिराहा से एसजी ग्राण्ड रोड के पास से 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया , जिनके कब्जे से कब्जे से 37 किलोग्राम डोडा पोस्त मय घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी, 1750 रुपये व 02 मोबाइल फोन बरामद, अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. बबलू पुत्र गिरिराज निवासी जी-439 शहीद नगर चिकम्बरपुर थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 40 वर्ष।
2. रिंकू पुत्र रमेश निवासी प्लाट न0 07 राज मार्केट ओल्ड सीमापुरी थाना दिलशाद गार्डन दिल्ली उम्र 34 वर्ष।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त रिंकू उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग, थाना नन्दग्राम पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग, थाना जरीफ नगर जनपद बंदायू में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त रिंकू उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं यह डोडा पोस्त हम दोनो मिलकर इसी छोटे हाथी से सामान की आड में छिपाकर जनपद बंदायू से गाजियाबाद लाते है। यहां लाकर इसको पीसकर छोटे छोटे पैकट बनाकर अच्छे दामो पर राह चलते लोगो को बेच देते है। जिससे हम अपने शौक पूरे करते है।

बरामदगी का विवरण-

37 किलोग्राम डोडा पोस्त ।

छोटा हाथी ASHOK LEYLAND रजि0 DL-1-LAM-7051 ।

1750 रुपये व 02 मोबाइल फोन ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

स्वाट टीम नगर जोन कमि0 गाजियाबाद ।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 13.05.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई । जिसमें वादिया द्वारा बताया गया कि मेरी नाबालिग पुत्री के साथ असमित व कशिश नामक दो लड़कों ने दुष्कर्म किया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर धारा 64 बीएनएस ¾ व 4(2) पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसके क्रम में आज दिनांक 16.05.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त असमित पुत्र सुरेश निवासी सी 93 गली नं0 3 पप्पू कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को छावङा चौक थाना शालीमार गार्डन गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त असमित पुत्र सुरेश उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त असमित पुत्र सुरेश उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त वादिया की नाबालिग पुत्री से काफी दिनों से दोस्ती करना चाहता था । जिसको लेकर अभियुक्त उपरोक्त ने कशिश की मदद से प्लान बनाया और अभियुक्त उपरोक्त व कशिश ने वादिया की नाबालिग पुत्री को वादिया के घर के ऊपर वाले कमरे में ले गये । जहाँ कशिश ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर वादिया की नाबालिग पुत्री को पिला दिया, जिससे उसको नशा हो गया फिर अभियुक्त उपरोक्त ने वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करते हुए वीडियो बना ली और कशिश को भेजी दी । कशिश के द्वारा वीडियो को आगे और लोगों को भेज दिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

असमित पुत्र सुरेश निवासी सी 93 गली नं0 3 पप्पू कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त असमित पुत्र सुरेश उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर दुष्कर्म के सम्बन्ध में 01 अभियोग पजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.05.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा एक तहरीर दी गई कि दिनांक 15.05.2025 को समय लगभग 19.30 बजे अभियुक्त शिवम, अंश, कृष्णा, धनलाल, रेनू द्वारा वादी के साथ गाली गलौज करना व वादी की गाडी तोड़ने पर उतारू होना तथा अभियुक्त शिवम द्वारा वादी को गंडासा से चोट मार देना जिसमें वादी का दांत टूट जाना तथा अभियुक्त द्वारा झगड़े में वादी की चेन खींच लेना। प्राप्त सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए वादी का मेडिकल परीक्षण कराया गया एवं मु0अ0सं0-308/25 धारा 191(2)/109/115(2)/352/351(2)/118(1)/118(2)/304 बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। उक्त अभियोग में बयान गवाह, निरीक्षण घटनास्थल एवं अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही से धारा 304 बीएनएस (स्नैचिंग) का होना नहीं पाया गया। उक्त अभियोग में धारा 304 बीएनएस (स्नैचिंग) का लोप किया गया एवं धारा 191(2)/109/115(2)/352/351(2)/118(1)/118(2) बीएनएस में संपादित की जा रही है।

आज दिनांक 16.05.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त 1- धनलाल पुत्र सुखी गुप्ता निवासी गली न0 2 पुष्पाजलि विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 49 वर्ष 2. शिवम पुत्र धनलाल गुप्ता निवासी गली न0 2 पुष्पाजलि विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। जल्द ही गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोग व वादी एक ही गली में रहते हैं। हमारा पहले से ही मनमुटाव चल रहा है। कल दिनांक 15.05.2025 को भी हम लोगों से वादी की कहासुनी हो गयी थी जिस पर विवाद ज्यादा बढ़ गया था और वादी को चोट लग गयी थी। अभियुक्तों से चैन छीनने के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि हमारे बीच केवल मारपीट की घटना हुई है। चैन छीनने की सूचना गलत दी गयी है। हमारे द्वारा कोई चैन छीनने की घटना कारित नहीं की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1- धनलाल पुत्र सुखी गुप्ता निवासी गली न02 पुष्पाजलि विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 49 वर्ष
2. शिवम पुत्र धनलाल गुप्ता निवासी गली न02 पुष्पाजलि विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।